बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक .... / पटना, दिनांक– ....
06 / पणन(स0)–71 / 2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),
बिहार, पटना।

विषय :– **बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित तिरहुत, हरित, मिथिला एवं मगध सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड को उनके सब्जी विपणन की परिचालन क्षमता बढ़ाने हेतु कुल 43,000 उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक कैरेट (अधिकतम रू. 400/– प्रति कैरेट की दर से) उपलब्ध कराने के निमित्त कुल सकल राशि रू० 1,72,00,000/– (एक करोड़ बहत्तर लाख रूपये मात्र) का वित्तीय वर्ष 2025–26 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित तिरहुत, हरित, मिथिला एवं मगध सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड को उनके सब्जी विपणन की परिचालन क्षमता बढ़ाने हेतु कुल 43,000 उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक कैरेट (अधिकतम रू॰ 400/– प्रति कैरेट की दर से) उपलब्ध कराने के निमित्त कुल सकल राशि रू० 1,72,00,000/– (एक करोड़ बहत्तर लाख रूपये मात्र) का वित्तीय वर्ष 2025–26 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय संकल्प संख्या–10615 दिनांक 05.12.2018 एवं वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु योजना की कुल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा पूंजी, 25 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत अनुदान मद की राशि का प्रावधान किया गया है।

उक्त योजना का 25 प्रतिशत राशि रू0 43,00,000/– मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश, उप शीर्ष–0166 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–54 निवेश, विषय शीर्ष–01 निवेश, विपत्र कोड– 09–4425001080166 एवं 50 प्रतिशत अनुदान मद की राशि रू0 86,00,000/– मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष– 2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष–0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष 06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, विपत्र कोड– 09–2425001080116 अन्तर्गत विकलनीय होगा तथा 25 प्रतिशत ऋण मद की राशि का शीर्ष खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रथम अनुपूरक से राशि प्राप्त होने के पश्चात् ऋण मद की राशि की निकासी की जायेगी।

3. PVCS को सरकारी ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि की वसूली के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का दायित्व बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन का होगा, जिसके अनुसार ऋण वसूली की पूर्ण जिम्मेदारी बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि० का होगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

कृ0पृ0उ0

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक–26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0(2) दिनांक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ हीं उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से सहकारिता विभाग को प्राप्त करायेंगे।

8. योजना कार्यान्वयन हेतु प्लास्टिक कैरेट की गुणवत्ता मानक (ISO मानक) सुनिश्चित कराते हुए ससमय उसकी आपूर्ति कराने का दायित्व वेजफेड, पटना एवं संबंधित सब्जी संघ का होगा। साथ ही कैरेट के खरीद एवं वितरण की प्रक्रिया 3 माह में पूरी की जायेगी।

9. संबंधित सब्जी संघ द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली एवं उचित अधिप्राप्ति दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए, निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार प्लास्टिक कैरेट की खरीद हेतु प्रक्रिया संपन्न करेंगे। कैरेट की आपूर्ति उपरांत, वेजफेड द्वारा गठित एक जांच समिति द्वारा कैरेट की गुणवत्ता एवं विशिष्टताओं का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। संबंधित संघ द्वारा कैरेट की प्राप्ति एवं सत्यापन उपरांत, अपनी आवश्यकता एवं संबद्ध PVCS की मांग के अनुसार कैरेट का आवंटन किया जाएगा। क्रय किये गए प्रत्येक प्लास्टिक कैरेट पर "VEGFED" एवं "तरकारी" का LOGO अंकित होगा।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–06/पणन(स0)–71/2025 के पृष्ठ संख्या 09/टि0 पर दिनांक– 24.06.2025 को प्राप्त है।

11. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या–06/पणन(स0)–71/2025 के पृष्ठ संख्या 09/टि0 पर दिनांक– 24.06.2025 को प्राप्त है।

ह०/-
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 180 /पटना, दिनांक 26/06/25
06/पणन(स0)–71/2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स0स0, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

26.06.25

सरकार के अपर सचिव।